



भाकृअनुप-कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान
जी.टी. रोड, रावतपुर, कानपुर - 208 002
(उत्तर प्रदेश)
An ISO 9001:2015 Certified

☎ (O) : (0512) 2533560, 2554746
Fax : (0512) 2533560, 2554746
Website : <http://atarik.res.in>
E-mail : zpdicarkanpur@gmail.com

पत्रांक: ATARI/2014-15/RTI/Vol.IV/05

दिनांक: 10.04.2018

सेवा में,

श्री आकाश सिंह C/o श्री योगेश
C-59 प्रताप नगर,
जयपुर हाउस
आगरा - 282010
उत्तर प्रदेश

महोदय,

आपके पत्रांक दिनांक 05.04.2018 के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि पत्र दिनांक 02.11.2017, 02.12.2017 एवं 15.12.2017 द्वारा चाही गई सूचना पूर्व में ही आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। आर.टी.आई. से सम्बन्धित पत्र दिनांक 08.02.2018 एवं 22.02.2018 द्वारा चाही गई सूचना इस संस्थान ने अपने पत्र दिनांक 17.02.2018 एवं 03.03.2018 के माध्यम से आपके द्वारा दिये गये पते "श्री आकाश सिंह C/o धर्मेन्द्र अवस्थी, 206 अनन्या अपार्टमेंट, हीराबाग, दयालबाग, आगरा - 282005 (उ.प्र.)" पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी गई थी, परन्तु दोनों ही स्पीड पोस्ट इस संस्थान को वापस प्राप्त हुई। जैसा कि आपने पत्र दिनांक 05.04.2018 में अपने नये पते का हवाला दिया है उक्त नये पते का हवाला पूर्व के पत्रों में आपको दर्शाना चाहिये था जो कि आपके द्वारा नहीं किया गया। एतएवं आर.टी.आई. से सम्बन्धित सूचना आपको प्राप्त न होने की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी बनती है, न कि इस संस्थान की। आपके पत्र दिनांक 05.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करते हुए इस संस्थान द्वारा आर.टी.आई. से सम्बन्धित अपने पत्र दिनांक 17.02.2018 एवं 03.03.2018 द्वारा भेजी गई सूचना जो कि इस संस्थान को वापस प्राप्त हुई थी, को पुनः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये नये पते पर भेजी जा रही है। पत्र के साथ-साथ वापस प्राप्त लिफाफों की छायाप्रति भी आपके सूचनार्थ संलग्न है।

आपसे निवेदन है कि उक्त पत्रों की पावति इस संस्थान को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

R.B. Sharma
10/4/18

(शान्तनु कुमार दुबे)
प्रधान वैज्ञानिक (कृषि प्रसार)
एवं
जनसूचना अधिकारी

संलग्न उपरोक्तानुसार।



भाकृअनुप-कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान
जी.टी. रोड, रावतपुर, कानपुर - 208 002
(उत्तर प्रदेश)
An ISO 9001:2015 Certified

☎ (O) : (0512) 2533560, 2554746
Fax : (0512) 2533560, 2554746
Website : http://atarik.res.in
E-mail : zpdicarkanpur@gmail.com

पत्रांक: ATARI/2014-15/RTI/Vol.IV/ 126

दिनांक: 01.05.2018

सेवा में,

श्री आकाश सिंह C/o श्री योगेश
C-59 प्रताप नगर,
जयपुर हाउस
आगरा - 282010
उत्तर प्रदेश

विषय: जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक ।

महोदय,

आपके आवेदन दिनांक 24.04.2018 द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

क्रमांक	विषयक	उत्तर
1.	उ०प्र० कृषि विज्ञान केन्द्रों में वनस्पति विज्ञान संकाय के व्यक्ति की नियुक्ति पादप रोग विज्ञान के पद पर हो सकती है या नहीं।	कृषि विज्ञान केन्द्रों के संचालन हेतु स्वीकृत किए गए पदों पर परिषद द्वारा निर्धारित मानकानुसार नियुक्ति करने का प्रावधान है।
2.	Non-Agriculture (गृह विज्ञान को छोड़कर) किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति SMS/Scientist के पद पर हो सकती है या नहीं (कृषि विज्ञान केन्द्र पर)।	कृषि विज्ञान केन्द्रों के तहत स्वीकृत SMS के पदों पर परिषद द्वारा निर्धारित मानकानुसार नियुक्ति करने का प्रावधान है।
3.	क्या केवीके का चार्ज Non-Agriculture व्यक्ति को दिया जा सकता है या नहीं।	हाँ, यदि उस व्यक्ति को कृषि सम्बन्धित ज्ञान हो।
4.	उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों में स्टेनो का रू. 9300-34800 ग्रेड देय है या नहीं।	प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्रों के तहत परिषद द्वारा एक स्टेनोग्राफर ग्रेड-III का पद रू. 5200-20200 ग्रेड पर स्वीकृत है।

भवदीय,

(Handwritten Signature)

(शान्तनु कुमार दुबे)
प्रधान वैज्ञानिक (कृषि प्रसार)
एवं
जनसूचना अधिकारी

(Handwritten Signature)
R.B. Sharma
11/5/18



ICAR- Indian Institute of Vegetable Research
P.B. No. 01, P.O. Jakhini (Shahanshapur)
Varanasi-221 305 (U P.)



P.I.O. Ref. No: RTI/1-21/2017/399

Date: 01.06.2018

To,
Sh. Amit Pratap Singh
Vill- Ahirauli Hanuman Singh
Post- Dhuriya Imiliya, Tamkuhiraj
Distt- Kushinagar, 274 407
Uttar Pradesh

Sub. : Information under Right to Information Act, 2005 - reg.
Ref. : Your RTI application keeping registration no. ICARH/R/2018/50133 dated 06.04.2018.

Sir,

With reference to your RTI application under reference above, it is to inform you that under the RTI ACT, 2005, the information as present in the material form only has to be provided. The PIO is not supposed to create the information for providing the same under RTI Act, 2005. Accordingly, the requisite information as available in the material form is to be provided.


The information sought by you from S.No. 01 to 04 pertains to third party information. The third party was asked to represent under Section 11 of the RTI Act, 2005 as to why the information shall not be provided. On receipt of the representation, the matter has been duly considered under Section 7 (7) of the RTI Act, 2005.

Now, therefore on detailed analysis of the case, the undersigned feels that the information sought from S.No. 01-04 falls under Section 8 (1)(d) of the RTI Act, 2005 and thus, qualifies for exemption from disclosure. The remaining Sl.No. 05 the copy of available information (09 page) is being forwarded for your kind information please.

In case you intend to prefer an appeal for a review of the decision, you may do so under Section 19(1) of the RTI Act 2005 within 30 days from the date of receipt of this letter to the following first appellate authority:-

Name of the First Appellate Authority : Dr. B. Singh
Designation : Director
Address : ICAR-Indian Institute of Vegetable Research
Post Bag No. 01, Post Office Jakhini
Shahanshapur, Varanasi-221 305 (U.P.)

Yours sincerely


(Sumit Kumar Jindal)
Public Information Officer

AAO
1
Shankar
11/7/18

✓ J. Dr. S.K. Dubey, CPIO, ICAR-ATARI, G.T. Road, Near Vikas Bhavan, Rawatpur, Kanpur - 208002, (U.P.)
Pradesh.

